

राजस्थान-सरकार
कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर ग्रामीण

☎ :- 0141-2209776

E Mail-sjejaipur rural@yahoo.co.in

क्रमांक : एफ 1/स्था./सान्याजावे/2018/

15614

दिनांक 17-04-18

विज्ञप्ति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला कार्यालय जयपुर ग्रामीण के अधीन नवस्थापित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय बस्सी, जमवारामगढ, चाकसू, फागी, दूदू, गोविन्दगढ, शाहपुरा, कोटपूतली, पावटा एवं विराटनगर में कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (10 पद) के रिक्त पदों को सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार (कोटपूतली के अतिरिक्त 9 पद) कनिष्ठ सहायक (10 पद) एवं सहायक कर्मचारी (10 पद) के रिक्त पदों पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(10)कार्मिक/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार संविदा/अनुबंध के आधार पर दिनांक 28.02.2019 तक अथवा उक्त पदों पर नियमित कर्मचारी पद स्थापित होने तक जो पहले हो तक कनिष्ठ लेखाकार 12000/-, कनिष्ठ सहायक 9100/- एवं सहायक कर्मचारी 6400/- रुपये प्रतिमाह की दर से नियमानुसार लिया जाना है।

अतः कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी संविदा/अनुबंध के आधार पर लगना चाहते हैं। वह निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2018 तक कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण, जिला परिषद् परिसर जयपुर में प्रस्तुत करें।



उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर (ग्रामीण)

252

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवा में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग/कार्यालय:-----

सेवा का नाम:-----

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम :-----
2. सेवा का नाम, जिससे संबंधित है :-----
3. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन :-----
4. अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख :-----
5. मूल विभाग का नाम :-----
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद :-----
7. धारित पद का वेतनमान -----
(सेवानिवृत्ति के समय)
- 8 अनुभव:-----
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है):-----
- 10 मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति):-----
- 11 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की जिस रिक्त पद विरुद्ध सेवाएं ली जानी हैं, का विवरण तथा उस पद के रिक्त रहने एवं नियमानुसार भरे जाने में विलम्ब के कारण:-----
12. सेवानिवृत्त कार्मिक की रिक्त पद/पदों के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति से किसी अन्य कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ? तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करें:-----
- 13 स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण ----- /-----
- 14 भर्ती का तरीका(सीधी भर्ती या पदोन्नति) -----
यदि पदोन्नति द्वारा :-
(1) अंतिम नियमित चयन कब किया गया था -----
(2) पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्ति उपलब्ध है या नहीं ?-----
(3)नियमित चयन के लम्बित रहने के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्तियों में से कुछ स्थापन्न नियुक्ति संभव है या नहीं ? -----
- 15 रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं कब से ली जानी प्रारम्भ की गई (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस पुनर्नियुक्ति सेवा को कब से कब तक बढ़ाया गया (आदेश की प्रति संलग्न)
16. वह कालावधि जिसके लिए समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं में अभिवृद्धि की जानी है:-----
17. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं में अभिवृद्धि का विस्तृत औचित्य:-----

हस्ताक्षर

सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी मय सील